भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1012

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

''जीएसटी से राजस्व''

1012. **श्री के. सुधाकरन:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017 से प्रत्येक स्लैब दर (5%, 12%, 18% और 28%) में एकत्र किए गए वार्षिक माल और सेवा कर (जीएसटी) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष के लिए माल और सेवा कर संग्रहण पर आधारित शीर्ष 10 उत्पाद श्रेणियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी से कितना राजस्व एकत्र किया गया है; और

(ग) वर्ष 2017 से 18% जीएसटी की मानक दर पर कर लगाई गई सेवाओं से वर्ष–वार कितना राजस्व एकत्र किया गया?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(**क**) रिटर्न के माध्यम से कर दाताओं से एकत्रित किए गए आंकड़ों से अलग-अलग कर दरों पर एकत्रित किए गए जीएसटी की राशि की गणना नहीं की जा सकती है। हांलाकि, अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न टैक्स स्लैब के अंतर्गत एकत्रित जीएसटी (क्षतिपूर्ति उपकर और अन्य भुगतानों को जोड़कर) का अनुपात निम्निलिखित है:

रेट स्लैब	प्रतिशत (2023-24)
5%	6-8%
12%	5-6%
18%	70-75%
28%	13-15%
अन्य	1-2%

इसके अलावा, दिनांक 18-19 अक्टूबर 2016 की जीएसटी परिषद की बैठक के अनुसार, 2017-18 में एकत्रित किए जाने वाले कर की राशि निम्नलिखित रूप में अनुमानित की गई थी:

(राशि लाख करोड़ रुपये में)

मूल्य स्लैब	एकत्रित कर (2017-18)
5%	0.22##
12%	1.76
18%	2.9
28%	3.34

6% की दर पर अनुमानित

(ख) : अनौसतवार उत्पादवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि चार डिजिट से अधिक एचएस कोड अनिवार्य नहीं है।

(ग) : यह आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

******